



# केन्द्रीय विद्यालय संगठन KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

(मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन)  
(Under Ministry of HRD, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office  
सेक्टर - जे, अलीगंज/ Sector - J, Aliganj

लखनऊ/ Lucknow- 226 024

DC: 0522- 2745386, AC: 0522- 2745925

EPABX: 0522- 2745535 Fax: 0522- 2745536

E-mail add.: aorolucknow@gmail.com

Website: www.kvsrolucknow.org.in

फा.26061/2017-18/ केविसं आर ओ लखनऊ/ 9350- 9412

दिनांक: 16.07.2018

द्वुत डाक/ई-मेल

## आदेश

इस कार्यालय के आदेश दिनांक 23.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु०), नई दिल्ली के पत्रांक F.11-55/2000-KVS(Vig.)/Pt.I/1206-41 दिनांक 03.06.2015 एवं कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण), अधिनियम 2013 की धारा 4 (2) के अनुपालन में केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ एवं लखनऊ संभाग के अंतर्गत आने वाले केन्द्रीय विद्यालयों के लिये कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु निम्नलिखित सदस्यों की समिति का एतद्वारा पुनर्गठन किया जाता है:-

क्रम संख्या	नाम एवं पता	समिति में धारित पद
1.	श्रीमती प्रीती सक्सेना, सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	प्रीसाइडिंग ऑफिसर (Presiding Officer)
2.	श्री विशुन दयाल, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, नं. 2, चकेरी, कानपुर	सदस्य
3.	श्रीमती संगीता यादव, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, अलीगंज, लखनऊ	सदस्य
4.	श्रीमती रश्मि मिश्रा, एम.एम.-30, सेक्टर-Q, अलीगंज, लखनऊ	एनजीओ सदस्य / संयोजक

प्रीसाइडिंग ऑफिसर के कार्य निम्नवत होंगे:-

- वे एनजीओ सदस्य / संयोजक एवं समिति के अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर जांच की तिथि एवं समय निर्धारित करेंगे।
- माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.08.1997 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न सम्बन्धी केस मेधा कोतवाल लेले एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.04.2004 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुरूप जांच करेंगे।
- सभी सम्बंधित दस्तावेजों के साथ जांच रिपोर्ट, शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेंगे।



(अजय पन्त)

उपायुक्त

वितरण:-

- श्रीमती प्रीती सक्सेना, सहायक आयुक्त, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- श्री विशुन दयाल, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, नं. 2, चकेरी, कानपुर।
- श्रीमती संगीता यादव, प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, अलीगंज, लखनऊ।
- श्रीमती रश्मि मिश्रा, एनजीओ सदस्य, एम.एम.-30, सेक्टर-Q, अलीगंज, लखनऊ।
- संयुक्त आयुक्त (कार्मिक), के.वि.सं. (मु०), नई दिल्ली।
- उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय।
- प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, लखनऊ संभाग को इस आशय से प्रेषित है कि वे सभी शिक्षकों/कर्मचारियों के संज्ञान में इस आदेश को लायें।
- प्रभारी वित्त अनुभाग, के.वि.सं., क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- वेबसाइट पर अपलोड हेतु।